परिसीमन आयोग

अशोक होटल, 50-बी, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

सं. 282/जेएण्डके/2022 (खंड ।।) **<u>दिनांकः 14 मार्च, 2022</u>**

23, फाल्गुन, 1943 (शक्)

<u>नोटिस</u>

परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव दिनांक 14 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राजपत्र, दोनों में प्रकाशित किए हैं। आयोग इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करता है।

2. राजपत्र की प्रतियां जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इस संघ राज्य क्षेत्र के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के पास संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

3. इन प्रस्तावों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्तियां तथा सुझाव **दिनांक 21 मार्च, 2022 (सोमवार)** को अपराह्न 1700 बजे से पहले सचिव, परिसीमन आयोग, अशोक होटल, 50-बी नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 के पास पहुँच जाने चाहिए। इन सभी पर दिनांक 28.03.2022 और 29.03.2022 को संघ राज्य क्षेत्र की सार्वजनिक बैठकों में आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। उपरोक्त सुनवाइयों के लिए स्थान और समय की सूचना अलग से दी जाएगी।

आदेश से,

(के.एन. भार)
सचिव